

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 1128] No. 1128] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 24, 2017/वैशाख 4, 1939

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 24, 2017/VAISAKHA 4, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2017

का.आ.1273 (अ). यत:, मै. महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ने महाराष्ट्र राज्य के ग्राम चिनचोली-कटी, तालुका मोहल, जिला सोलापुर में वस्त्र क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यत:, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त आधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्याआ का.आ. 1279(अ) दिनांक 19 मई, 2009 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 103 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यत;, मैं. महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 103 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनिधसुचित करने का प्रस्ताव किया है:

और यत;, महाराष्ट्र सरकार ने उनके दिनांक 9 नवंबर, 2016 के पत्र सं. एस.ई.जेड-2006/सी.आर-7/2014/आई.एन.डी-2 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है:

और यत;, विकास आयुक्त, सीप्ज विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 103 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनिधसूचित करने के प्रस्ताव को संस्तुति की है;

अतः इसलिए केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्दवारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है;

[फा. स. एफ.2/166/2006-एस.ई.जेड]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव

2698 GI/2017 (1)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2017

S.O. 1273 (E).—WHEREAS, M/s. Maharashtra Industrial Development Corporation, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for textile sector at Village Chincholi-Kati, Taluka Mohal, District Solapur in the State of Maharashtra;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had notified an area of 103 hectares vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S. O. 1279 (E) dated 19.05.2009;

AND, WHEREAS, M/s. Maharashtra Industrial Development Corporation has now proposed to de-notify entire area of 103 hectares of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Maharashtra has given its "No Objection" to the proposal vide letter no. SEZ-2006/CR-7/2014/Ind-2 dated 07th November, 2016.

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, SEEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of entire area of 103 Hectares of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F.2/166/2006-SEZ]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.